REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 9 | JUNE - 2025

महात्मा गांधी और महिला सशक्तिकरणः भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रेरणा

Monika Saini
Ph.D Research Scholar, Department of History and Archaeology,
Maharshi Dayanand University, Rohtak.

सार

गांधी जी के पूर्व भारत में नारी समाज की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। महिलाओं को अनेक सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कुरीतियों का सामना करना पड़ता था। पुनर्जागरण काल में अनेक समाज सुधारकों ने व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर महिलाओं की दयनीय दशा को सुधारने हेतु प्रयास प्रारम्भ किए। प्रारम्भ में ब्रिटिश सरकार भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप से बचती रही, किंतु समय के साथ पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन और तर्कशीलता से प्रभावित एक नवीन शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और एक प्रगतिशील भारत के निर्माण का स्वप्न देखा। उन्नीसवीं शताब्दी को सांस्कृतिक जागरण के परिप्रेक्ष्य में एक विद्रोहात्मक युग के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस कालखंड में मध्ययुगीन विचारधारा का खंडन करते हुए नवीन वैचारिक प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ, जिसने जीवन के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन को जन्म दिया। इस सांस्कृतिक जागरण ने भारतीय समाज की तत्कालीन जड़ता को तोड़ने तथा जीवन को एक नवीन चेतना से जागृत करने का प्रयास किया। इसका प्रारंभ आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव एवं संपर्क से हुआ, जिसका मूल कारण मध्ययुगीन भारतीय सामंतवाद की निष्क्रियता थी, जो यूरोपीय औद्योगिक पूंजीवादी सभ्यता की प्रगतिशीलता के सम्मुख अप्रासंगिक प्रतीत होने लगी। समाज सुधारकों ने धर्म, समाज एवं संस्कृति को समयानुकूल आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के प्रयास किए। भारतीय नारी, जो पुरुष प्रधान समाजिक संरचना के कारण सदियों से हाशिये पर थी, लगभग प्रत्येक सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी। उन्नीसवीं शताब्दी का यह काल भारतीय इतिहास में नारी को सामाजिक बंधनों से मुक्त कर समानता एवं अधिकार प्रदान करने का स्वर्णिम युग सिद्ध हुआ। वस्तुतः, इस सदी की सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता ने भारतीय नारी के सामाजिक अवमूल्यन पर गहन मंथन को प्रेरित किया तथा समाज को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करने हेतु बाध्य किया। इन्हीं सुधारकों के सतत प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन ने महिलाओं की दशा सुधारने के लिए क्रमिक रूप से कई विधिक उपाय लागू किए।

बीज शब्द : नारी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कुरीतियां, दृष्टिकोण, वैचारिक प्रवृत्तियां, जागरूकता, समाज सुधारक।

परिचय

गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नारी समाज की अंतर्निहित शक्ति को पहचाना तथा यह उद्घोष किया कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान स्वराज प्राप्ति के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। उन्होंने आश्वस्त भाव से कहा कि भारत की महिलाएं इस चुनौती को स्वीकार कर स्वयं को संगठित करेंगी। गांधी जी का यह भी स्पष्ट मत था कि कई आंदोलन महिलाओं की सक्रिय सहभागिता के अभाव में विफल हो गए, अतः उनकी सहभागिता अनिवार्य है। महिलाओं को मतदान का अधिकार एवं कानूनी मान्यता प्रदान करने की उनकी घोषणा ने नारी समाज को प्रेरित किया। साथ ही, मातृत्व जैसे गुणों के आधार पर स्त्री को पुरुषों से श्रेष्ठ मानने की भावना ने महिलाओं के भीतर एक नवीन जागृति का संचार किया। गांधी जी के अनुसार, स्त्री त्याग की मूर्ति तथा शालीन तपस्या की प्रतीक है उसमें अहिंसा की असीम शक्ति निहित है। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि जब तक सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती, तब तक न तो भारत का समुचित उत्थान संभव है और न ही स्वराज्य की कल्पना साकार हो सकती है।[1]

गांधी जी का मानना था कि महिलाओं की आंदोलन में भागीदारी को एक जीवन रक्षक तथा मानवतावादी शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, जो आंदोलन को दिशाहीनता एवं आत्मविनाशक हिंसा से बचाने का कार्य करेगी। गांधी जी के इस दृष्टिकोण के अनुसार, आंदोलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि ऐसा समाज गढ़ना था जिसमें हिंसा और बल प्रयोग के लिए कोई स्थान न हो। इस आंदोलन में महिलाओं के लिए अहिंसा का पालन न केवल उनका मुख्य उत्तरदायित्व, बल्कि उनका विशेषाधिकार भी बन गया।[2] गांधी जी अहिंसा को एक क्रान्तिकारी शस्त्र के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। इनका मानना था कि ष्यह अधिक से अधिक लोगों में और खासकर महिलाओं के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करने में सहायक होगा। अधिक से अधिक लोग आन्दोलन से छिपने के बजाय उत्साहित होकर अपने घर से बाहर आयेंगे तथा आन्दोलन में उत्साह से अहिंसा का करेंगे। महिलाओं की शक्ति हिंसा हेतु निम्नतम् होती है परन्तु नैतिक बल में वे पुरूषों से ही अधिक श्रेष्ठ हैं। क्योंकि स्त्रियों में सहने की शक्ति पुरूषों से अधिक होती है।[3]

स्त्री वर्ग की इस परोक्ष सहभागिता ने राष्ट्रवाद को एक नैतिक शक्ति प्रदान की। हालांकि इसे औपचारिक रूप से कहीं मान्यता नहीं मिली है। इसी तरह अर्ध–राष्ट्रवादी मजदूर एवम् किसान संघर्षो में स्त्रियों की प्रत्यक्ष भागेदारी भी अदृश्य रही। हजारों स्त्रियों ने हड़तालों एवम् प्रदर्शनों में हिस्सा लिया तथा मजदूर संघों एवम् किसान सभाओं की सदस्या बनी। प्रत्यक्ष सहभागिता का अर्थ है राष्ट्रीय अथवा स्थानीय नेताओं द्वारा समय–समय पर चलाये गये आन्दोलनों में व्यक्तिगत स्तर पर भाग लेना। परन्तु स्त्रियों की यह सहभागिता पुरुषों की अपेक्षा काफी सीमित थी क्योंकि वे अपने सामाजिक तथा पारिवारिक कर्तव्यों के साथ बँधी हुयीं थीं।[4]

आधुनिक भारत में स्त्री

1940 का दशक भारतीय इतिहास में युगान्तरकारी परिवर्तनों का साक्षी रहा। इस कालखंड में सम्पूर्ण भारत राजनीतिक आंदोलनों से आंदोलित था और राजनीतिक घटनाक्रम अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका था। इस व्यापक राजनीतिक उथल–पुथल के बीच महिलाओं ने भी सक्रिय एवं निर्णायक भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक सहभागिता ने समूचे भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मद्रास, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, लखनऊ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल की स्त्रियों में अदम्य उत्साह एवं जागरूकता उत्पन्न कर दी। इस सक्रियता ने स्वतंत्रता और स्वराज्य की भावना को नए आयाम प्रदान किए तथा नारी समाज को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में स्थापित कर दिया। महिलाओं की राजनीति चेतना को

[1] K.L.M.Pharma, Women and status of women in Indian Society, Kolkata, 1979, pp 36

[2] Jawahar Lal Nehru's letter to Indira, 11th Nov., 1933; Social Transformation of U.P. Women (1900-1947), Pratima Asthana, Agra, 2001, p. 61.

[3] Harijan, February 24, 1940; Collected works of Mahatma Gandhi, Vol IXXI, p.208.

[4] आर सी० वरमानी, भारत में उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद, गीतांजली पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2003 पृ० 367

देखते हुए 12 फरवरी, 1940 को मृदुला साराभाई ने डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को एक पत्र प्रेषित कर कांग्रेस के अन्तर्गत महिला विभाग स्थापित करने की मांग की। उनके अनुसार वर्षों से बड़ी भारी संख्या में स्त्रियों ने कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लेना प्रारम्भ किया है और उनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है,[5] किन्तु सार्वजनिक जीवन में विशेष अनुभव न होने और संगठन की कमियों के कारण महिलाओं का अपनी गतिविधियों को जारी रखना कठिन हो रहा है। अतः कांग्रेस में, उसके अन्य विभागों की तरह एक महिला विभाग आवश्यक हो गया है। अरूणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित आदि लोगों ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये। कांग्रेस ने इन सुझावों पर अमल किया एवं महिला विभाग का गठन किया। सुचेता कृपलानी इस विभाग की सचिव बनी।[6]

महिला विकास और महात्मा गांधी

सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा के उन्मूलन हेतु राजा राममोहन राय के सक्रिय प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को इस प्रथा को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया। तत्पश्चात 1845 में बालिका वध निषेध कानून द्वारा इस क्रूर परंपरा का विधिवत अंत किया गया। विधवा पुनर्विवाह की दिशा में भी सुधार हुआ। 1856 में डलहौजी के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियमश पारित किया गया। यद्यपि शिक्षित वर्ग ने इसे सहर्ष स्वीकार किया, परंतु परंपरागत समाज इस विधेयक को सहजता से स्वीकारने में हिचकता रहा।

बाल विवाह निषेध के संदर्भ में 1872 में अधिनियम पारित हुआ, जिसे 1929 में संशोधित कर हरविलास शारदा के प्रयासों से श्शारदा अधिनियमश नाम प्रदान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई। यद्यपि इस अधिनियम ने एक सकारात्मक संदेश दिया, किंतु सामाजिक रूढ़ियों के कारण इसके क्रियान्वयन में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी।

आर्थिक अधिकारों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। 1874 में विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम लागू कर महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे उनकी आर्थिक निर्भरता में कमी आई।

अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए केशवचंद्र सेन के आग्रह पर 1882 में सिविल मैरिज एक्ट पारित किया गया, जिससे स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष अधिकार प्राप्त हुए और जातिगत बंधनों में शिथिलता आई।

मालाबारी के प्रयासों से 1891 में सम्मति वय अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। यद्यपि यह अधिनियम प्रगतिशील सोच को परिलक्षित करता था, परंतु सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित रही।

गांधी जी का नारी संबंधी चिंतन अत्यंत व्यापक एवं समग्र था। उन्होंने बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, तलाक आदि ज्वलंत सामाजिक विषयों पर गंभीरता से विचार किया। हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन जैसे पत्रों में लिखे अपने लेखों एवं सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से गांधी जी ने समाज का ध्यान महिलाओं की इन समस्याओं की ओर आकृष्ट किया और इनके उन्मूलन हेतु सक्रिय प्रयास करने पर बल दिया। गांधी जी के आश्रम में शारीरिक अथवा बौद्धिक श्रम में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाता था तथा आवश्यकतानुसार सभी को समुचित सुविधाएँ प्रदान की जाती थीं। स्त्री और पुरुष के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव गांधी जी के चिंतन में स्थान नहीं रखता था।[7]

[5] A. I. C. C Records, File-G 50, 1939

[6] A. I. C. C Records, File-WD-9, 1940, pp 162

[7] यंग इण्डिया, 15–9–1921, पृ० 292, आधुनिक भारत के निर्माता महात्मा गाँधी जीवन और चिन्तन–जीवतराम भगवानदास कृपलानी, सितम्बर, 1978, इलाहाबाद, पृ०सं० 424,

गांधी जी का मत था कि स्त्री को अबला कहना उसकी वास्तविक शक्ति का अपमान है। यद्यपि शारीरिक दृष्टि से स्त्री पुरुष से भिन्न हो सकती है, किंतु नैतिक बल में वह पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली है। गांधी जी के अनुसार, स्त्री के बिना पुरुष के अस्तित्व की कल्पना भी संभव नहीं है।[8] गांधी जी ने शिक्षित एवं संस्कारवान महिलाओं से आग्रह किया कि वे समाज सुधार के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएं। उनका कहना था कि यदि महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बनकर अपरिपक्व अवस्था में दुर्बल संतानों को जन्म देने में संलग्न हो जाएंगी, तो उनकी शिक्षा का कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाएगा। गांधी जी के अनुसार, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब प्रत्येक युवती स्वयं में इतनी शक्ति का अनुभव करे कि वह विवाह के योग्य उचित आयु प्राप्त करने तक विवाह से इंकार कर सके तथा उसे यह अंतिम अधिकार प्राप्त हो कि वह अपनी स्वेच्छा से अपने जीवनसाथी का चयन कर सके।[9]

निष्कर्ष

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नारी वर्ग के राजनीतिकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष उनके सांसारिक दृष्टिकोण में आया गुणात्मक परिवर्तन था। गांधी जी द्वारा पुरुषों की अपेक्षा नारी की नैतिक श्रेष्ठता पर विशेष बल दिए जाने से महिलाओं के मन में व्याप्त पारंपरिक हीन भावना का क्षय हुआ और उनमें नवीन आत्मविश्वास का संचार हुआ। इस वैचारिक जागरण के प्रभावस्वरूप अनेक महिलाओं ने पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्य–व्यवस्था को चुनौती देना प्रारंभ किया। इस नए वैचारिक वातावरण का एक प्रमुख आयाम स्त्री–पुरुष वैवाहिक संबंधों की पुनर्व्याख्या था। महिलाएं विवाह संस्था के अंतर्गत अपने अधिकारों, विशेषकर बहुविवाह की प्रथा के संदर्भ में, अधिक सचेत एवं मुखर होने लगीं। अनेक स्त्रियों ने पत्नी को तलाक का अधिकार देने का समर्थन किया। साथ ही, पति–पत्नी के पारिवारिक उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों की समानता की भी मांग उठी, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि गृहस्थ जीवन के संचालन में दोनों की भूमिकाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के व्यक्तिगत विकास पर लगे विविध प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों के विरुद्ध भी सक्रिय विरोध व्यक्त किया गया।

More Suggestion:

Government Records:

- Fortnightly Reports of Government of India, 1920-1944, National Archives of India, New Delhi.
- Home Political Files of Government of India, 1920-1944, National Archives of India, New Delhi.
- Government of India, Home Department, Selection from the Records No. CCXXIII, Serial No. 3.
- Parliamentary Debates (Council of States) Statement in Parliament,

Papers and files

- Golden Thoughts on Women: by Dr. Vijay Kaushik, 2001, Jaipur.
- Gandhi and Status of Women: by J. Kamat, March 15, 2003, Gandhi Peace Foundation in Dec. 1998
- File No. G-71, Women's Suffrage, Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi.
- Scheme of the work of the Women's Department, AICC Files (1940-2), Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi.
- The Aims of the Women's Department of the AICC, AICC files Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi.

[8] Mahatma Gandhi Views On Women-New Delhi, p.13.

[9] Young India, Oct. 7-, 1926, Gandhi for 21st Century : The Role of women by M.K. Gandhi-Anand. T. Hingorani, 1998, New Delhi, pp. 98